न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 717 / 2023
अनवान : –

1. सरिता (पुत्री श्री किशनलाल) धर्मपत्नी श्री पूर्णराम, आयु 39 वर्ष जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. किशनलाल पुत्र स्व0 श्री लालचंद आयु 74 वर्ष जाति सुथार निवासी नोहर हाल आबाद नई आबादी गली नंबर 15 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 28 एनटीआर के खाता संख्या 32 / 31 की कुल 1.2780 हैक्ट एवं रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 23 / 22 की कुल 5.0840 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भुमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादीया के दादा स्व0 श्री लालचन्द पुत्र श्री धन्नाराम के देहान्त उपरान्त विरासतन प्राप्त हुई। वादिया एवं प्रतिवादी स0 1 हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है तथा पैतृक सम्पति में पुत्र व पुत्री का भी जन्मत अधिकार है एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम सन् 2005 की धारा 6 के अनुसार पुत्री का भी सहदायिक सम्पति में जन्मतः अधिकार नीहित है। इस कारण प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब की खातेदार है व इस आशय से घोषणा प्राप्त करने के अधिकारीणी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीन व पुरानी जमाबंदी तथा सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वाद भूमि पूर्व में वादीया के दादा के नाम दर्ज थी और उनके देहान्त के बाद प्रतिवादी सं0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी। उक्त वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीया का भी प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 28 एनटीआर के खाता संख्या 32/31 की कुल 1.2780 हैक्ट एवं रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 23/22 की कुल 5.0840 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भुमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 28 एनटीआर के खाता संख्या 32/31 की कुल 1.2780 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीया एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 23/22 की कुल 5.0840 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भुमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 717/2023
अनवान : –

1. सरिता (पुत्री श्री किशनलाल) धर्मपत्नी श्री पूर्णराम, आयु 39 वर्ष जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. किशनलाल पुत्र स्व0 श्री लालचंद आयु 74 वर्ष जाति सुथार निवासी नोहर हाल आबाद नई आबादी गली नंबर 15 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 717 सन 2023 निर्णय दिनांक 13/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 28 एनटीआर के खाता संख्या 32/31 की कुल 1.2780 हैक्ट प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीया एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 23/22 की कुल 5.0840 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भुमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:39 IST
Reason: SelfAttested